लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्र0 / शि.क. / बी / संवि. / 2010 / 45 / 2010 404 भोपाल, दिनांक 21/6/10

:: आदेश ::

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–49 / 2008 / 20–1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक–8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम–2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वेच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम–5 तथा तालिका के कालम–6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण–पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती सुधा सोनी अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.शाला तिघरा जिला–पन्ना	AS-9940	23100414609	जिला पंचायत पन्ना जा.क.547 दि.24.5.10	नगर पालिक निगम रीवा जा.क.720 दि.26.5.10 शा.पूर्व मा.वि.टेकुआ	23140110902
2	श्री गुलजार सिंह गौड़ (विकलांग) सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा.भुसौर जिला–छतरपुर	AG-3779	23090818601	जनपद पंचायत राजनगर जिला– छतरपुर जा.क.708 दि.11.5.10	जनपद पंचायत जबेरा जिला–दमोह जा.क.83 दि.30.4.10 शा.नवीन प्रा.शा. देवतरा (पुरनयाऊ)	23120613601
3	श्रीमती राजश्री त्यागी अध्यापक (विज्ञान) शा.मा.शा.पामाखेड़ी जिला–विदिशा	BF-6020	23310618403	जिला पंचायत विदिशा जा.क. 3694 दि.24.5.10	नगर पंचायत तलेन जिला राजगढ़ जा.क.383 दि.28.4.10 शा.कन्या हाईस्कूल तलेन	23300366603
4	श्रीमती अर्चना दीक्षित सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा.रेडोनमाल गुजारी मालथौन जिला सागर	AX-6845	23110110002	जनपद पंचायत मालथौन जिला–सागर जा.क.371 दि.204.10	जनपद पंचायत टीकमगढ़ जा.क. 764 दि.21.5.10 शा.क.प्रा.शा.खिरियानाका अस्तौन	23080607501
5	श्रीमती रेखा अग्रवाल अध्यापक (गणित) शा.मा.शा.मझगुवां कीरत जिला–दमोह	AH-9782	23120605602	जिला पंचायत दमोह जा.क.1728 दि.21.5.10	नगर पालिका परिषद विदिशा जा.क.1878 दि.1.5.10 शा.क.हाई स्कूल चौपडा	23310[illegible]66 06
6	श्रीमती रेखा पटेल वरि.अध्या. (हिन्दी) शा.उ.मा.वि.पटना तमोलीजिला पन्ना	AT-3909	23100277702	जिला पंचायत पन्ना जा.क.475 दि. 19.5.10	नगर पालिका परिषद छतरपुर जा.क.क्यू–1 दि.10.5.10 शा.उ.मा.वि.क.–2	23090577702
7	श्रीमती कल्पना कोरी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा.डोमा जिला–सागर	AY-3541	23110701901	जनपद पंचायत केसली जिला सागर जा.क.345 दि.19.7.09	जनपद पंचायत फन्दा जिला–भोपाल जा.क. 1087 दि.22.5.10 शा.प्रा.शा.पठारटोला	23320218406
8	श्रीमती हीरा कुमारी वरि. अध्या (भौतिक) शा.उ.मा.वि.देहगॉव जिला रायसेन	AT9984	23340377701	जिला पंचायत रायसेन जा.क. 6499 दि.18.11.09	नगर निगम जबलपुर जा.क.24 दि. 27.4.10 शा.उ.मा.मेडीकल गढा	23390277706

निरंतर 2

संविलियन की शर्ते –

1. यह अनुमति तालिका के कालम–6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसीविषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम–6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम–6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेगें ।
4. **तालिका के कालम–6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के** कालम–5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापक/ सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/ अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले मे कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम–6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही सविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरूद्व कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व होने अथवा उक्त शर्तो की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम–5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

02.6.10

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ./क्र0/शि.क./ए/संवि./45/2010/ 405 भोपाल, दिनांक 2/6/10

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, मा. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।

निरंतर 3

8. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

02.6.10

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश